□ जनपद- हाथरस।□
□ दिनांक- 14.12.2025□

‼□ थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में जहरखुरानी कर ठगी करने वाले गिरोह का भण्डाफोड करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2,95,000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद ‼□

अवगत कराना है कि वादी शेर सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह निवासी मिरगामई थाना हाथरस जंक्शन द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 29.09.2025 को गैस्ट हाउस बनवाने के लिए मुझसे सम्पर्क किया। तत्पश्चात अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.10.2025 को कार्य दिखाने के बहाने मुझे ले गये और गैलेक्सी होटल ले जाकर मुझे चाय पिलाई। उसके बाद में नशे में हो गया और मुझे रूद्राक्ष के खेल में फंसाकर पांच लाख रूपये ठग लिये और मुझे खंदौली ताज एक्सप्रेस-वे पर छोड गये। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 417/25 धारा-123/318(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 05 टीमों का गठन किया गया तथा एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया।

जिसके क्रम में दिनांक 14.12.2025 को पुलिस टीमों के टेक्निकल/ग्राउन्ड इन्टैलीजेंस, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन आदि के क्रम में मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना मिली कि जहरखुरानी कर ठगी करने वाले कुछ व्यक्ति आर.पी.एम. बंम्बा से भूतेश्वर बगीची की तरफ जाने वाले रास्ते पर खडे है। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये एसओजी टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में जहर खुरानी कर रूद्राक्ष के खेल में फंसाकर बडे पैसे का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का भण्डाफोड करते हुए ठगी के गिरोह में शामिल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिनके कब्जे से 2,95,000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक कार महिन्द्रा XUV 500 कार सं0 UP 80 DQ 6393 बरामद हुई है। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है हम लोग अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने आप को बडे पैसों वाला बताते है और लोगों को अपनी बातों मे फंसाकर नशे की गोली खिलाकर रूद्राक्ष के खेल में फंसाकर उनको बडे पैसों का लालच देकर ठगी कर लेते है, और ठगी के पैसों को आपस में बांटकर अपने शौक-मौज में खर्च करते है। हम लोगों ने दिनांक 29.09.2025 को हाथरस के एक शेर सिंह नाम के व्यक्ति को गेस्ट हाउस बनवाने का लालच देकर उसे अपने सम्पर्क में लिया। तत्पश्चात गैलेक्सी होटल में ले जाकर उसे चाय में नशे की गोलियां खिलायी और नशे में होने के उपरान्त उसे रूद्राक्ष के खेल में फंसाकर 5 लाख रूपये देकर 20 लाख रूपये जीतने का लालच दिया। तब शेर सिंह उपरोक्त ने फोन कर अपने घर से 5 लाख रूपये मंगवाये और हम लोग शेर सिंह उपरोक्त को रूपयों सहित साथ लेकर गये और खंदौली पार कर ताज एक्स्प्रेस-वे पर रूपये लेकर शेर सिंह को वहीं छोड कर चले गये।

उक्त घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम सक्रिय है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-
1. अजय सैनी पुत्र दिनेश निवासी मोहन नगर विरला मन्दिर हाल निवासी लक्ष्मीनगर कालौनी विरला मन्दिर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।
2. हरिकेश पुत्र वीर पाल निवासी मोहन नगर कालौनी विरला मन्दिर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।

3. चन्द्रपाल पुत्र भूरी सिंह निवासी नगला देह थाना मांट जनपद मथुरा हाल निवासी आनन्द विहार कालौनी लक्ष्मीनगर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

बरामदगी का विवरणः-
1- 2,95,000 रुपये नगद (फ्राड/ठगी से प्राप्त)
2- महिन्द्रा XUV कार सं0 UP 80 DQ 6393। (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय सैनी उपरोक्त
1- मु0अ0स0 288/2019 धारा 3/25 A ACT थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।
2- मु0अ0स0 100/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।
3- मु0अ0स0 25/2015 धारा 147, 148, 341, 436, 504, 506 भादवि 31(A) क्रिमीनल ला थाना गोविन्द नगर मथुरा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हरिकेश उपरोक्त-
मु0अ0स0 25/2015 धारा 147, 148, 341, 436, 504, 506 भादवि 31(A) क्रिमीनल ला थाना गोविन्द नगर मथुरा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चन्द्रपाल उपरोक्त-
1- मु0अ0स0 535/2016 धारा 60 EX ACT थाना कोतवाली नगर जनपद मथुरा।
2- मु0अ0स0 871/2015 धारा 328/420 भादवि थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

अनावरित अभियोग-
मु0अ0सं0 417/25 धारा-123/318(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1- प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र राघव थाना कोतवाली नगर मय टीम जनपद हाथरस।
2- उ0नि0 श्री धीरज गौतम प्रभारी एसओजी टीम मय टीम जनपद हाथरस।

MEDIA CELL HATHRAS